"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 जनवरी 2017—— माघ 8, शक 1938

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-03/दो/गृह-सी/2002. —— यत: राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये;

अतएव, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्र. 10 सन् 1979), की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा 03-01-2017 से निम्नलिखित अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, अर्थात् :-

"छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय के कार्य से संबंधित सभी कार्यों के लिये नियुक्त किये गये समस्त नर्सिंग स्टाफ नर्स की सेवायें."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 4-03/दो/गृह-सी/2002.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-03/दो/गृह-सी/2002, दिनांक 2-1-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 2nd January 2017

NOTIFICATION

No. F 4-03/Two/Home-C/2002. — Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified below;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government, hereby, prohibits refusal to work in the following essential services with effect from 03-01-2017, namely :-

"Services of all the Staff Nurses appointed for all duties relating to the Medical of Colleges affiliated to Ayush & Health Science University, Chhattisgarh."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YASHVANT KUMAR, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.